सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 64

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	बजट 2008-2009 आयोजना-भिन्न	बजट 2008-2009 जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	संशोधित 2008-2009 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2008-2009 जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	बजट 2009-2010 आयोजना-भिन्न	बजट 2009-2010 जोड़
राजस्व		1787.00	144.11	1931.11	1718.00	194.53	1912.53	1785.00	212.57	1997.57
पूंजी		*7.00*	*1.31*	*8.31*	*7.00*	*0.30*	*7.30*	*9.00*	*1.43*	*10.43*
जोड़		**1794.00**	**145.42**	**1939.42**	**1725.00**	**194.83**	**1919.83**	**1794.00**	**214.00**	**2008.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.10	5.10	...	5.40	5.40	...	7.04	7.04
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई)										
2. ऋण सहायता कार्यक्रम	2851	122.67	...	122.67	154.85	...	154.85	111.90	...	111.90
3. गुणवत्ता प्रौद्योगिकी सहायता संस्था तथा कार्यक्रम	2851	244.35	...	244.35	199.62	6.39	206.01	256.00	8.00	264.00
4. अन्य स्कीमें	2851	8.25	...	8.25	6.88	1.74	8.62	16.80	1.95	18.75
5. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	2851	20.70	...	20.70	19.11	...	19.11	20.70	...	20.70
6. असंगठित/औपचारिक क्षेत्र में उद्यम संबंधी राष्ट्रीय आयोग	2851	5.00	...	5.00	6.37	...	6.37	3.00	...	3.00
7. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2851	10.80	...	10.80	10.80	...	10.80	4.50	...	4.50
8. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	2851	...	10.91	10.91	...	13.64	13.64	...	16.40	16.40
9. संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम	2851	31.18	42.78	73.96	33.66	53.00	86.66	46.00	61.80	107.80
10. एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम और वृद्धि ध्रुव	2851	45.80	...	45.80	29.05	...	29.05	36.00	...	36.00
11. विपणन विकास सहायता कार्यक्रम	2851	9.75	...	9.75	6.15	...	6.15	10.50	...	10.50
12. डाटाबेस को अद्यतन करना	2851	10.65	...	10.65	8.81	...	8.81	2.50	...	2.50
13. लघु उद्योगों की सांख्यिकी का संग्रहण	3601	16.80	...	16.80	16.80	...	16.80	16.10	...	16.10
	3602	1.30	...	1.30	0.80	...	0.80	0.50	...	0.50
	जोड़	*18.10*	...	*18.10*	*17.60*	...	*17.60*	*16.60*	...	*16.60*
14. असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय निधि	2851	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
15. कार्यालय आवास का निर्माण-ग्राम और लघु उद्योग	4059	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	5.50	...	5.50
जोड़ - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई)		**530.75**	**53.69**	**584.44**	**496.40**	**74.77**	**571.17**	**531.00**	**88.15**	**619.15**
खादी एवं ग्राम उद्योग										
16. खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग										
16.01 खादी उद्योग	2851	159.30	55.45	214.75	159.30	80.28	239.58	114.30	82.57	196.87
16.02 अन्य ग्राम उद्योग	2851	55.80	...	55.80	40.00	...	40.00	37.80	...	37.80
	जोड़	*215.10*	*55.45*	*270.55*	*199.30*	*80.28*	*279.58*	*152.10*	*82.57*	*234.67*
17. ब्याज सब्सिडियां										
17.01 खादी उद्योग	2851	17.10	22.00	39.10	17.10	22.00	39.10	4.95	22.00	26.95
17.02 अन्य ग्राम उद्योग	2851	4.50	5.36	9.86	4.50	5.36	9.86	4.50	5.36	9.86
	जोड़	*21.60*	*27.36*	*48.96*	*21.60*	*27.36*	*48.96*	*9.45*	*27.36*	*36.81*
18. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान	2851	3.00	...	3.00	3.00	0.48	3.48	3.00	0.72	3.72
19. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम	2851	24.95	...	24.95	24.95	...	24.95	14.95	...	14.95
20. खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा वृद्धि की स्कीम	2851	9.95	...	9.95	9.95	...	9.95	7.95	...	7.95
21. कमजोर संस्थाओं हेतु पोषण निधि सहित खादी संस्थाओं के लिए आधारसंरचना विकास हेतु पैकेज	2851	0.90	...	0.90	0.01	...	0.01	4.90	...	4.90
22. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2851	738.00	...	738.00	738.00	...	738.00	738.75	...	738.75
23. परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि हेतु योजना	2851	18.90	...	18.90	14.85	...	14.85	14.90	...	14.90

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
24. खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	2851	...	...	...	...	...	...	86.40	...	86.40
25. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण										
25.01 खादी उद्योग	6851	...	1.01	1.01	...	...	...	...	1.13	1.13
25.02 ग्रामोद्योग	6851	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*1.01*	*1.01*	*...*	*...*	*...*	*...*	*1.13*	*1.13*
जोड़-खादी और ग्रामोद्योग		**1032.40**	**83.82**	**1116.22**	**1011.66**	**108.12**	**1119.78**	**1032.40**	**111.78**	**1144.18**
26. कॉयर उद्योग										
26.01 कॉयर बोर्ड	2851	28.70	2.51	31.21	25.00	6.24	31.24	32.30	6.73	39.03
	6851	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
26.02 कॉयर उद्योगों का आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन	2851	22.50	...	22.50	18.80	...	18.80	18.90	...	18.90
जोड़ - कॉयर उद्योग		**51.20**	**2.81**	**54.01**	**43.80**	**6.54**	**50.34**	**51.20**	**7.03**	**58.23**
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान										
27.01 अन्य योजनाएं	2552	1.75	...	1.75	2.10	...	2.10	2.20	...	2.20
27.02 असंगठित/औपचारिक उद्यम संबंधी क्षेत्र में राष्ट्रीय आयोग	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.03 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2552	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	0.50	...	0.50
27.04 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	2552	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30
27.05 विकास आयुक्त (एमएसएमई)	2552	53.50	...	53.50	50.00	...	50.00	53.50	...	53.50
	4552	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	*54.00*	*...*	*54.00*	*50.50*	*...*	*50.50*	*54.00*	*...*	*54.00*
27.06 खादी और ग्रामोद्योग	2552	113.60	...	113.60	110.24	...	110.24	113.60	...	113.60
	6552	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
	जोड़	*116.60*	*...*	*116.60*	*113.24*	*...*	*113.24*	*116.60*	*...*	*116.60*
27.07 कॉयर उद्योग	2552	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80
	जोड़	*179.65*	*...*	*179.65*	*173.14*	*...*	*173.14*	*179.40*	*...*	*179.40*
कुल जोड़		***1794.00***	***145.42***	***1939.42***	***1725.00***	***194.83***	***1919.83***	***1794.00***	***214.00***	***2008.00***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	12851	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	70.00	70.00
जोड़		**...**	**60.00**	**60.00**	**...**	**60.00**	**60.00**	**...**	**70.00**	**70.00**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	1614.35	60.00	1674.35	1551.86	60.00	1611.86	1614.60	70.00	1684.60
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	179.65	...	179.65	173.14	...	173.14	179.40	...	179.40
जोड़		**1794.00**	**60.00**	**1854.00**	**1725.00**	**60.00**	**1785.00**	**1794.00**	**70.00**	**1864.00**

1. **सचिवालय की आर्थिक सेवाएंः** इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी कार्यालय-व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **ऋण सहायता कार्यक्रमः** इसके अंतर्गत किसी संपार्श्विक के बगैर लघु/अति लघु इकाईयों को ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी कवर देने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) को अंशदान की व्यवस्था की जाती है। इस शीर्ष के अधीन सरकार इस स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण प्रचालन हेतु पोर्टफोलियो जोखिम निधि के सृजन के लिए सिडबी को सहायता प्रदान करेगी, महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की अधिकारिता के लिए सहायता दी जाएगी।

3. **प्रौद्योगिकी सहायता संस्थानों की गुणवत्ता और कार्यक्रम** : इस शीर्ष के अधीन, औजार कक्ष और तकनीकी संस्थान कवर किए जाते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम औजार कक्ष कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद, औरंगाबाद, इन्दौर, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, जालंधर और नागौर में स्थित हैं। औजार, मोल्ड, जिग एंव फिक्चर, पुर्जे आदि डिज़ाईन और उत्पादित करके सू.ल.म.उद्यमों को तकनीकी उन्नयन और अच्छी गुणवत्ता वाली टूलिंग सहायता हेतु उन्हें भारत-जर्मन एवं भारत-डेनिश के सहयोग से आरंभ किया गया था। ये कक्ष औजार और डाई मैकरों को प्रशिक्षण और परामर्श भी प्रदान करते हैं। सू.ल.म.उ. प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, रामनगर, फिरोजाबाद, मेरठ, आगरा, कन्नौज, मुंबई एवं हैदराबाद में स्थित हैं। ये उत्पाद विशेष की समस्यों की देखभाल करने तथा तकनीकी सेवा प्रदान करने, प्रौद्योगिकी विकास एवं उन्नयन करने, जनशक्ति का विकास और विशेष उत्पादन समूह जैसे फाउंड्री और फोर्जिंग, इलैक्ट्रानिक, सुगंध तथा सुरस, स्पोर्ट जूते, विद्युत मापन उपकरण और ग्लास में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आगरा और चेन्नई स्थित सू.ल.म.उ. के प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान) निर्यात संवर्धन हेतु फुटवियर डिजाइन विकसित करता है, और फुटवियर उद्योग में लगे लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। इस शीर्ष में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के अधीन शामिल ऋण संबंद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम, आईएसओ 9000/14001 प्रतिपूर्ति योजना और कई अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों में वर्टिकल शाफ्ट ब्रिकक्लिन (वीएसबीके) प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी मिशन आदि शामिल हैं।

4. **अन्य स्कीमेः** सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान की योजना के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर

सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए विख्यात स्वतंत्र एजेंसियों को अनुदान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी अंतर्वेयन तथा/अथवा भारतीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के उन्नयन, उनके आधुनिकीकरण तथा निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा विदेश स्थित उद्यमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संवर्धित करना है।

'प्रशिक्षण संस्थान' की स्कीम के अधीन तीन राष्ट्रीय उद्यमकारिता विकास प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय उद्यमकारिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा और भारतीय उद्यमकारिता संस्थान, गुवाहाटी को अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा और नए प्रशिक्षण संस्थानों को उद्यमकारिता विकास संबंधी प्रयासों को सहायता के लिए समतुल्य (मैचिंग) अनुदान भी दिया जाता है।

5. **राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास उद्योग निगम लि.**: मंत्रालय के यह निगम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के हित, और विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और सहायता सेवाओं के अधीन एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कार्य करता आ रहा है।

राष्टीय लघु उद्योग निगम लि. दो योजनागत स्कीमें नामतः 'विपणन सहायता स्कीम' और 'निष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम' कार्यान्वित कर रहा है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विपणन सहायता स्कीम के अधीन सूक्ष्म, लघु उद्यमों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों के विपणन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सूचीबद्ध प्रत्यायन ऋण रेटिंग एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी द्वारा निष्पादन के साथ-साथ ऋण योग्यता हेतु स्वयं की रेटिंग कराने के लिए 75 प्रतिशत तक की सीमा में (अधिकतम 40,000/-रूपए तक) आर्थिक सहायता (सब्सिडी) उपलब्ध कराई जाती है।

6. **असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग**: इसमें आयोग के स्थापना संबद्ध व्यय और उसके कार्यकलापों के व्यय की व्यवस्था है।

7. **राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना**: राजीव गांधी मित्र योजना का उद्देश्य प्रथम पीढ़ी के संभावित उन उद्यमियों को पथ प्रदर्शन सहायता उपलब्ध कराना है जिन्होंने नए उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन में विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं से निपटने तथा उद्यमों की स्थापना और उन्हें चलाने हेतु अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताएं चुनिंदा प्रमुख एजेंसियों के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं।

8. **विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.)**: विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय देश में लघु उद्योगों के संवर्धन एंव विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने, समन्वयन और मॉनीटरिंग के लिए एक केन्द्रीय निकाय है। विकास आयुक्त केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और लघु उद्योगों के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखता है। यह प्रावधान विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) मुख्यालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

9. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम**: विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। सू.ल.म.उ. परीक्षण केन्द्र, सू.ल.म.उ. तथा और सू.ल.म.उ. परीक्षण स्टेशन सू.ल.म.उ.(टीएस) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं। एमडीपी/ईडीपी/ कौशल विकास, राष्ट्रीय पुरस्कार, सहायता के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम, लघु तथा मध्यम उद्यमों की उद्यमकारिता और प्रबंध विकास के लिए सहायता, विज्ञापन और प्रचार तथा सीनेट परियोजना इस स्कीम के अधीन अन्य कार्यक्रम हैं। कुछ नए संघटक अर्थात चयनित व्यावसायिक स्कूलों, तकनीकी संस्थानों आदि के माध्यम से नए उद्यमों के लिए ट्रेलर पाठ्यक्रमों के संचालन और 1200 उद्यमी क्लब चलाने के लिए पांच चयनित विश्वविद्यालयों/कालेजों को सहायता के लिए एक कार्यक्रम और विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना संबंधी व्यय इस शीर्ष के अधीन शामिल किए गए हैं।

10. **एम.एस.एम.ई. क्लस्टर विकास कार्यक्रम तथा सू.ल.म.उ. वृद्धि ध्रुवः** सू.ल.म.उ. क्लस्टर विकास कार्यक्रम विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) कार्यालय की महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। क्लस्टरों के व्यापक विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आधारसंरचना सहायता को भी जोडा गया है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों में बनाए गए उत्पादों को केंद्रीय स्थानों पर प्रदर्शित करने और बेचने हेतु प्रदर्शनी केंद्रों की स्थापना के लिए महिला उद्यमी संघों को सहायता प्रदान की जाएगी

11. **विपणन विकास सहायता कार्यक्रम**: अंतर्राष्ट्रीय खुदरा बाजार में उत्पादों के सफलतापूर्वक विपणन के लिए बार-कोडिंग एक अनिवार्य आवश्यकता है। एक ऐसी स्कीम लागू है जिसके तहत सू.ल.म.उ. द्वारा उत्पादों की बार-कोडिंग करने को प्रोत्साहन देने के लिए बार-कोडिंग के एकबारगी पंजीकरण में लगने वाली लागत के 75% की प्रतिपूर्ति की जाती है। मध्यम और लघु उद्यमों को बार-कोडिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जी. एस. आई. इंडिया द्वारा लगाए जाने वाले वार्षिक शुल्क (आवर्ती) का 75% भाग भी प्रथम तीन वर्षों तक सब्सिडी के तौर पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उत्पाद पेटेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता की एक स्कीम आरंभ की जा रही है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी हेतु भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

12. **डाटा बेस का उन्नयन**: वार्षिक सर्वेक्षण और चार वर्षीय जनगणना के माध्यम से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इकाइयों की संख्या, रोजगार, विकास की दर, सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा/उत्पादन का मूल्य, रूग्णता/बंदी की सीमा तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निर्यातों से संबंधित सांख्यिकी और सूचना एकत्रित करेगा। इस स्कीम के अधीन महिलाओं के स्वामित्व वाले और/अथवा उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों से संबंधित आंकडे भी एकत्रित किए जाएंगे।

14. असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) ने 'असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के वित्तीयन' और 'असंगठित क्षेत्र हेतु एक राष्ट्रीय निधि के गठन' पर अपनी दोनों रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पहली रिपोर्ट असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के वित्तीयन की स्थिति और संस्थागत अवसंरचना में कमी तथा वित्तीयन की समस्याओं पर संकेद्रित है, साथ ही इन समस्याओं से निपटने के लिए उपाय भी सुझाये गये है। दूसरी रिपोर्ट क्रेडिट और विकासात्मक सहायता के संबंध में असंगठित क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच पर आधारित है। एनसीईयूएस ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई घोषणा की तर्ज पर एक राष्ट्रीय निधि के गठन का प्रस्ताव किया है।

एनसीईयूएस ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि जहां तक सस्ती दर पर पर्याप्त ऋण की उपलब्धता और विकासात्मक सहायता का संबंध है, इस क्षेत्र में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन की व्यापक संभावनाएं है फिर भी इस क्षेत्र को पर्याप्त संकेद्रित, एकल और राष्ट्रीय मिशन जैसा ध्यान नहीं मिल सका। एक ओर त्वरित और समावेशी वृद्धि हेतु असंगठित क्षेत्र के उद्यमों को पर्याप्त ऋण और विकासात्मक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता और दूसरी ओर बढती ऋण मांग को पूरा करने में बैंक, सिडबी और नाबार्ड जैसी वर्तमान संस्थाओं की अक्षमता पर विचार करते हुए रिपोर्ट में एक राष्ट्र स्तरीय विकास वित्तीय संस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो मौजूदा वित्तीय संस्थाओं के अब तक के पर्याप्त प्रयासों के प्रतिपूरक के रुप में न केवल पर्याप्त वित्त सुनिश्चित करेगा बल्कि असंगठित क्षेत्र के संवर्धनात्मक और विकासात्मक सेवाओं हेतु वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करेगा। इसलिए आयोग ने विशिष्ट तौर पर एक राष्ट्र स्तरीय विकास वित्तीय संस्था के रुप में एनएएफयूएस की स्थापना हेतु सिफारिश की है।

15. **कार्यालय आवास का निर्माण - ग्रामीण और लघु उद्योग**: यह क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय आवास के निर्माण की व्यवस्था करता है।

16. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग**: खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 61) द्वारा स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), एक सांविधिक संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने और उसके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदढ करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास में संलग्न है। केवीआईसी की पहचान न्यूनतम प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश पर सतत ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विकेद्रित क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन के रूप में की गई है। केवीआईसी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/स्व-रोजगार सृजित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत कौशल उन्नयन,

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ग्रामीण औद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, विपणन आदि जैसे कार्यकलाप संचालित करता है और इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की प्रक्रिया में पात्र खादी/ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराता है।

ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता

17.01 **खादी उद्योग** : ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) स्कीम खादी कार्यक्रम के निधिकरण का प्रमुख स्रोत है। इसे निधि की वास्तविक आवश्यकता और बजटीय स्त्रोतों से उसकी उपलब्धता के बीच अंतर को पूरा करने के लिए बैंकों से निधियां जुटाने हेतु मई, 1977 में प्रारंभ किया गया था।

आईएसईसी स्कीम के अधीन खादी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार पूंजीगत व्यय तथा साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। बैंकों की वास्तविक ऋणदाय दर और 4 प्रतिशत के बीच का अंतर केवीआईसी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा ऋणदाता बैंकों को अदा किया जाता है।

17.02 **अन्य ग्रामोद्योगः** क्लस्टर में काम करने वाले तथा पूर्ण प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण, कच्ची सामग्री, प्रशिक्षण आदि के लिए पर्याप्त सुविधाओं से वंचित कारीगरों के लिए केवीआईसी द्वारा 2004-05 से ग्रामीण उद्योग सेवा केद्र (आर.आई.एस.सी.) नामक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत स्थानीय एककों को उनकी उत्पादन क्षमता और कौशल बढाने के लिए तथा विपणन संवर्धन के लिए आधार संरचना सहायता और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

18. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)** : यह एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जिसकी स्थापना वर्धा, महाराष्ट्र में जमनालाल बजाज केंद्रीय शोध संस्थान को समाप्त करके उसके स्थान पर आई.आई.टी. दिल्ली के सहयोग से खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में शोध और विकास गतिविधियों को बढावा देने के लिए की गयी। एमगिरी का मुख्य कार्य शोध, शोध और विकास का विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी आधारित सूचना के वितरण के माध्यम से ग्रामोद्योग क्षेत्र में शोध और विकास गतिविधियों को बढावा देना है।

19. **खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीमः** इस स्कीम के अंतर्गत खादी कारीगरों को पायलट आधार पर वर्कशेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ताकि वे एक बेहतर परिस्थिति में काम कर सकें और उनकी उत्पादकता और जीविका बेहतर हो। इस स्कीम को जुलाई, 2008 में अनुमोदित किया गया।

20. **खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि स्कीमः** इसका उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति में ए+और ए श्रेणी की 200 खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनमें से 50 संस्था ऐसी होंगी जिनका प्रबंधन विशेष रूप से अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के लाभार्थियों द्वारा किया जाता हो। इससे खादी में मूल्यवर्धन करने के लिए पुराने चरखा/करघों की जगह नए चरणों/करघों को लाया जा सकेगा, सामान्य सुविधा केद्रों और आवश्यकताधारित रंजन और मुद्रण सुविधाएं तथा कारीगरों के लिए बेहतर मजदूरी की व्यवस्था और कौशल उन्नयन किया जा सकेगा। स्कीम को जुलाई, 2008 में अनुमोदित किया गया।

21. **कमजोर संस्थाओं के लिए पोषण निधि सहित खादी संस्थाओं के लिए आधारसंरचना विकास हेतु पैकेजः** इस स्कीम के अंतर्गत चयनित विक्रय केंद्रों का नवीनीकरण करना तथा पिछले वर्षों के दौरान वित्तीय दृष्टि से कमजोर हो गए किंतु केंद्रित सहायता और निरीक्षण से पुनः मजबूत बनने की संभावना रखने वाले करीब 200 खादी संस्थानों को पोषण निधि प्रदान करने का लक्ष्य है।

22. **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** : यह केंद्रीय क्षेत्र का क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम हैं जिसे 31.03.2008 तक कार्यशील मंत्रालय की 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना' और 'ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक' दो स्कीमों को मिलाकर अगस्त, 2008 में अनुमोदन मिलने के उपरांत शुरू किया गया। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें सब्सिडी का स्तर पीएमआरवाई और आरईजीपी से अधिक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रथम पीढी उद्यमियों द्वारा सूक्ष्म उद्यमों के गठन को सहायता प्रदान कर रोजगार अवसर सृजित करना है। स्कीम से अपेक्षा है कि केवीआईसी और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण लाभार्थियों के कवरेज एवं उनकी भागीदारी में बढोतरी हो सकेगी तथा केवीआईसी और राज्य सरकारों के जिला उद्योग केद्रों द्वारा समन्वित और संचालित किये जाने वाले जांच प्रक्रिया तथा युक्तियुक्त कार्यान्वयन, प्रशिक्षण, मॉनीटरिंग के माध्यम से और अधिक केद्रित तरीके से कार्य हो सकेगा। इस स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित निधियों का उपयोग प्रशिक्षण, बैकवर्ड-फारवर्ड लिकेंजेस संबंधी लागत को पूरा करने हेतु लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

23. **पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति)**: मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2005 में पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) नामक स्कीम का शुभारंभ किया गया, इसका उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि के दौरान 100 पारंपरिक उद्योग क्लस्टरों (खादी, ग्रामोद्योग एवं कायर) का व्यापक विकास किया जाना है। क्लस्टर विकास पद्धति के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के संकेद्रित पुनर्सृजन हेतु यह प्रथम व्यापक पहल है। केवीआईसी और कायर बोर्ड स्कीम के लिए नोडल एजेंसियां हैं। स्कीम संचालन समिति (एसएससी) द्वारा किसी संभावित 'ड्रोपआऊट' की स्थिति में आरक्षित/कुशन के रुप में अतिरिक्त क्लस्टरों सहित 118 क्लस्टरों (32-खादी, 60- ग्रामोद्योगों,और 26 कायर) का अनुमोदन किया गया है। इन क्लस्टरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत 17 राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं को तकनीकी एजेंसियों के रूप में चिन्हित किया गया है। स्कीम संचालन समिति (एसएससी) द्वारा 91 क्लस्टरों के लिए वार्षिक कार्य योजना और नैदानिक रिपोर्टों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। औजारों, उपकरणों के वितरण तथा सामान्य सुविधा केद्रों को आरंभ करके 26 केवीआई क्लस्टर (14 खादी और 12 ग्रामोद्योग) आरंभ किए गए है और कार्यशील बनाए गए हैं। 25 कायर क्लस्टरों में पूरक गतिविधियां आरंभ की गई हैं। यह स्कीम चालू वर्ष में पूरी तरह कार्यशील बना दी जाएगी।

24. **खादी सुधार विकास पैकेजः** यह प्रस्ताव किया जाता है कि खादी का सातत्य, आय और रोजगार, कारीगरों का कल्याण बढाकर खादी क्षेत्र को पुनरूज्जीवित किया जाए और धीरे-धीरे खादी संस्थाओं को स्व निर्भर बनाया जाए। आरंभ में, यह कार्यक्रम क्षेत्रीय संतुलन, भौगोलिक विस्तार और पिछडे क्षेत्रों को शामिल किए जाकर 300 चिन्हित खादी संस्थाओं में शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक की सहायता से आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।

25. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण

25.01 **खादी और ग्रामोद्योग** : पूर्वोत्तर राज्यों को कार्यनिष्पादन बेहतर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग ऋण प्रदान किया जाता है।

कायर उद्योग

26. **कायर बोर्डः** कायर बोर्ड का उद्देश्य वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों; कायर और कायर उत्पादों के निर्यात और घरेलू खपत से संबंधित वास्तविक आंकडों के एकत्रण; नये उत्पादों और डिजाइनों के विकास; निर्यात एवं आंतरिक बिक्री के संवर्धन हेतु प्रचार; भारत और विदेशों में कायर और कायर उत्पादों के विपणन; उत्पादकों और निर्यातकों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोक कर; उत्पादों के विनिर्माण हेतु इकाईयों की स्थापना में सहायता करके; हस्क, कायर फाइबर, कायर यार्न एवं कायर उत्पादकों के बीच सहकारी संस्थानों के संवर्धन; उत्पादकों और विनिर्माताओं आदि के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित कर के देश में कायर उद्योग के विकास का संवर्धन करना है। वर्ष 2009-10 हेतु कायर निर्यात का लक्ष्य 650 करोड रुपये रखा गया है।

26.02 **कायर उद्योग का आधुनिकीकरण, नवीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयनः** स्कीम का उद्देश्य कतिनों और अतिलघु घरेलू क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कायर उद्योग को विकसित करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत पुराने रटों/करघों को बदलने और वर्कशेड निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है ताकि कामगारों के उत्पादन और अर्जनों में वृद्धि हो सके।

27. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान किये गये हैं।